प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

विविध अपील (सिविल) संख्या 1409/2007

अपीलार्थी(बीमाकर्ता):

द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा-मंडल प्रबंधक, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बिलासपुर, द्वितीय तल, रामा ट्रेड सेंटर, राजीव प्लाजा के सामने, बस स्टैंड, बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण(दावेदार):

1. श्रीमती मीना जासूजा, आयु 27 वर्ष, पति अनिल जासूजा।
2. अनिल जासूजा, आयु लगभग 31 वर्ष, पिता सफरमल जासूजा।

   दोनों निवासी गली क्र. 7, मुथा नगर, तेलीबांधा, पोस्ट रविग्राम, थाना तेलीबांधा, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

वाहनचालक:

3. बसंत कुमार साहू, आयु 28 वर्ष, पिता अजीत कुमार साहू, निवासी सुभाष नगर, तेलीबांधा, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

वाहन स्वामी:

4. मेसर्स सचदेव न्यू पी.टी. कॉलेज, द्वारा प्रबंध निदेशक, एच-3, डागा बिल्डिंग, मोतीबाग चौक, सिविल लाइन, रायपुर, तेलीबांधा, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत विविध अपील।

उपस्थित:

श्री सौरभ शर्मा, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 2 अनुपस्थित हैं।

श्रीमती फौजिया मिर्जा, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 एवं 4 की अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(आज दिनांक 25 जनवरी, 2008 को पारित किया गया)

अंतिम रूप से सुनवाई की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) दावा प्रकरण क्रमांक 34/2007 में बारहवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण(फास्ट ट्रैक कोर्ट), रायपुर (इसके पश्चात "एम.ए.सी.टी.") द्वारा पारित अधिनिर्णय दिनांक 09-10-2007 से उद्भूत इस अपील में, अवधारण हेतु उद्भूत होने वाला संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या विद्वान एम.ए.सी.टी. ने अपीलार्थी/बीमा कंपनी पर प्रतिकर के भुगतान का दायित्व अधिरोपित करने में भूल की है क्योंकि प्रत्यर्थी क्रमांक 3/चालक के पास यात्री ढोने वाले वाणिज्यिक वाहन को चलाने हेतु वैध चालक अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस) नहीं थी।

(3) स्वीकृत रूप से, प्रत्यर्थी क्रमांक 3/चालक के पास केवल हल्के मोटर वाहन (संक्षेप में "एल.एम.वी.") चलाने की अनुज्ञप्ति थी और अनुज्ञप्ति प्रदर्श डी-1 पर उसे परिवहन वाहन या यात्री ढोने वाले वाणिज्यिक वाहन चलाने के लिए अधिकृत करने

वाला कोई पृष्ठांकन (एन्डोर्समेंट) नहीं था। यह भी निर्विवाद है कि दुर्घटनाकारी बस अर्थात मिनी बस जिसका पंजीकरण क्रमांक सी.जी.-04/डी/4509 (इसके पश्चात "मिनीबस"), दुर्घटना की तिथि पर बीमा पॉलिसी प्रदर्श डी-2 के अंतर्गत यात्री ढोने वाले वाणिज्यिक वाहन के रूप में बीमित थी। स्वीकृत रूप से, दिनांक 22-11-2006 को दोपहर लगभग 1.30 बजे, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 द्वारा मिनीबस को उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक रीती से चलाने के कारण, लगभग 1½ वर्ष की आयु का रौनक जासूजा मिनीबस के नीचे कुचल गया और उसकी मृत्यु हो गई। अधिकरण ने अपीलार्थी और प्रत्यर्थी क्रमांक 3 एवं 4 के विरुद्ध संयुक्ततः और पृथकतः 1,65,000/- रुपये की प्रतिकर अधिनिर्णीत की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (इसके पश्चात अधिनियम, 1988) की धारा 3 के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति किसी परिवहन वाहन (मोटर कैब या मोटर साइकिल को छोड़कर) को अपने स्वयं के उपयोग के लिए किराए पर या धारा 75 की उप-धारा (2) के तहत बनाई गई किसी योजना के तहत किराए पर तब तक नहीं चलाएगा जब तक कि उसकी चालक अनुज्ञप्ति विशेष रूप से उसे ऐसा करने का अधिकार न देती हो। दिनांक 14-11-1995 से प्रभावी अधिनियम, 1988 की धारा 10 में [अंतःस्थापना के बाद, एक चालक अनुज्ञप्ति में धारक को निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक मोटर वाहन चलाने का अधिकार भी अभिव्यक्त किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) बिना गियर वाली मोटर साइकिल;
(ख) गियर वाली मोटर साइकिल;

(ग) अशक्त वाहन (इनवैलिड कैरिज);

(घ) हल्का मोटर वाहन;

(ङ) परिवहन वाहन;

(च) रोड-रोलर;

(छ) एक निर्दिष्ट विवरण का मोटर वाहन।

(5) अधिनियम, 1988 की धारा 2 की उप-धारा 47 के अंतर्गत, "परिवहन वाहन" का अर्थ है एक सार्वजनिक सेवा वाहन, एक माल वाहन, एक शैक्षणिक संस्थान की बस या एक निजी सेवा वाहन। इस प्रकार, शैक्षणिक संस्थान की बस परिवहन वाहन की श्रेणी में आती है। स्वीकृत रूप से, उक्त वाहन इसके स्वामी द्वारा यात्री ढोने वाले वाणिज्यिक वाहन के रूप में भी बीमित था। इसलिए यह आवश्यक था कि उक्त मिनीबस के चालक को परिवहन वाहन या इस प्रकरण में, एक यात्री ढोने वाले वाणिज्यिक वाहन चलाने के लिए उसकी अनुज्ञप्ति पर एक पृष्ठांकन द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध कुसुम राय और अन्य, 2006 ए.सी.जे. 1336** के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि इस प्रकृति के प्रकरण में, वाहन का स्वामी यह तर्क नहीं दे सकता कि चालक के पास वैध अनुज्ञप्ति थी या नहीं, इस तथ्य को सत्यापित करने का उसका कोई दायित्व नहीं है। **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध सैयद इब्राहिम और अन्य, 2007 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 6197** के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसे प्रकरण पर विचार करते हुए जिसमें दुर्घटना की तिथि पर एक लॉरी के साथ दुर्घटना के कारण 7 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई थी, चालक केवल हल्का मोटर वाहन चलाने के लिए

अधिकृत था, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया यह दृष्टिकोण कि स्वामी से यह जानने की अपेक्षा नहीं की जाती कि चालक के पास किस प्रकार की अनुज्ञप्ति थी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी/बीमाकर्ता अधिनिर्णय की प्रतिकर के लिए उत्तरदायी नहीं था।

(7) **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रभु लाल, 2007 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 7677** के प्रकरण में, बीमा कंपनी को प्रतिकर का संदाय करने के दायित्व से मुक्त करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने द्वारा दिए गए एक निर्णय चंद्र प्रकाश सक्सेना (एस.एल.पी. संख्या 17794 वर्ष 2004) के प्रकरण का अवलंब लिया, जिसमें दुर्घटना में शामिल वाहन महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा निर्मित एक जीप कमांडर थी जो यात्री ढोने वाला वाणिज्यिक वाहन था और चालक के पास केवल हल्का मोटर वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि चालक प्रश्नगत वाहन चलाने के लिए अधिकृत नहीं था, और इसलिए, बीमा कंपनी को प्रतिकर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध सैयद इब्राहिम और अन्य, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रभु लाल** और **चंद्र प्रकाश सक्सेना (एस.एल.पी. संख्या 17794/2004)** (उपरोक्त) का पूर्ण अवलंब लेते हुए, मेरा यह सुविचारित मत है कि चूंकि वर्तमान प्रकरण में भी प्रश्नगत वाहन महिंद्रा एंड महिंद्रा मिनी बस थी जो यात्री ढोने वाले वाणिज्यिक वाहन के रूप में बीमित थी और शैक्षणिक संस्थान की बस होने

के कारण परिवहन वाहन की श्रेणी में आती थी, अपीलार्थी/बीमा कंपनी अधिनिर्णय की प्रतिकर के लिए उत्तरदायी नहीं थी क्योंकि चालक के पास केवल एल.एम.वी. चलाने की अनुज्ञप्ति थी और उसकी अनुज्ञप्ति पर यात्री ढोने वाले वाणिज्यिक वाहन या परिवहन वाहन चलाने का कोई अधिकार (प्राधिकार) नहीं था।

(9) परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थी/बीमा कंपनी प्रतिकर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिसे प्रत्यर्थी क्रमांक 3 एवं 4 से संयुक्ततः और पृथकतः वसूल किया जाएगा।

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**